Journal of Science and Research Innovations
Volume - 2, Issue - 2, Dec 2024, ISSN: 2583-9004 (ONLINE)

रीवा जिले में बाल अपचारिता की समस्या एवं समाधान : एक सामाजिक–विधिक अध्ययन

अभिनव तिवारी एल–एल.एम.
योगेन्द्र तिवारी शासकीय लॉ कॉलेज रीवा

सरांशः

प्रस्तुत शोध पत्र भारतीय समाज में उभरती विकराल समस्या बाल अपचारियों से संबंधित है। प्रस्तुत शोधपत्र में बाल अपचारिता का अवधारणात्मक विवेचना करते हुए रीवा जिले में बाल अपचारिता के कारण एवं समाधान हेतु सुझावों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। मध्यप्रदेश के अन्य जिलो की भांति रीवा जिले में बाल अपचारियों की संख्या में निरतर अभिवृद्धि अंकित हो रही है, आर्थिक सामाजिक एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि , कौतूहल, उत्तेजना या उकसाने के कारण अपचारी बालक विधि का उल्लंघन कर देते हैं। जिसका दूरगामी परिणाम परिवार एवं समाज पर पडता है। रीवा जिले में ऐसे अपचारियों की संख्या बढ़ रही है जिनमें 14 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बच्चों का संख्या सर्वाधिक है। अध्ययन में शामिल 100 बाल अपचारियों में 35 प्रतिशत दसवी एवं 40 प्रतिशत आठवी तक शिक्षा प्राप्त है, तथा 50 प्रतिशत अपराधिक पृष्ठभूमि से सम्बंधित है। एवं 23 प्रतिशत तलाकषुदा परिवार से आते हैं। अपराध घटित करने में 17 प्रतिशत लोग अन्य लोगों के साथ मिलकर तथा 23 प्रति. लोग परिवार या समूह द्वारा समर्थित होते है। ऐसे अपराधियों की सामाजिक स्वीकारोक्ति 50 प्रतिशत तक पाई पाई जाती है।

शब्द कुंजी : बाल अपचारिता, आयु वर्ग, शिक्षा, व्यवहार

प्रस्तावना : वर्तमान वैश्विक परिवेश उपलब्धियों एवं कीर्तिमानों का है। अपराध जगत इससे अछूता नहीं रहा। अन्य अपराधियों के साथ बाल अपचारियों की संख्या में निरंतर अभिवृद्धि हो रही है। 18 वर्ष तक की आयु वाले बालक–बालिकाओं कौतूहल वस, उत्तेजना के कारण या फिर अपने साथियों या अन्य लोगों के बहकावे में आकर अपराध घटित कर देते है। बाद में अपचारी बालक सहित समूचा परिवार प्रताड़ना झेलता रहता है। यद्यपि ऐसे अपचारी बालकों की पृष्ठभूमि आर्थिक सामाजिक स्थिति एवं पारिवारिक दशाएँ तथा शिक्षा के स्तर जैसे तत्वों से प्रभावित दृष्टिगोचर होती है, तथापि किसी भी रूप में ऐसे अपचारी बालक समाज की दया के पात्र नहीं होते। अपरिपक्वयता के कारण इन अपचारियों एवं इनके परिवार को अमानवीय यातनाएँ सहन करनी पड़ती है, जिसके मूल में विधि संबंधी जानकारियों का न होना है। प्रस्तुत अध्ययन बाल अपराधियों की प्रकृति, घटना के कारणों एवं उसके समाधान का अध्ययन रीवा जिले बाल अपचारियों के परिप्रेक्ष्य में किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र :

रीवा नगर भारत के मानचित्र में 24^0 32′ उत्तरी अक्षांश तथा 81^0 24′ पूर्वी देशान्तर पर स्थिति है। समुद्र तल से इसकी ऊँचाई 1045. फिट है। इस जिले के दक्षिण पूर्व की ओर बिछिया और दक्षिण पश्चिम से आती हुई बीहर नदी है। रीवा नगर पूर्व रीवा रियासत की राजधानी रहा है। 4 अप्रैल 1948 को रीवा सटेट तथा बुंदेलखण्ड की 34 रियासतों को मिलाकर विन्ध्यप्रदेश का निर्माण किया गया गया था। उस समय इस नगर को नवनिर्मित प्रदेश की राजधानी बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। 1 नवम्बर 1956 को जब मध्यप्रदेश का निर्माण हुआ तब इस नगर को सम्भागीय मुख्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। इस तरह यह नगर प्रारम्भ से ही राजनीति का केन्द्र बिन्दु रहा है।

रीवा जिले की कुल जनसंख्या 2363744 है जनसंख्या की दृष्टि से रीवा मध्यप्रदेश का पाँचवा सबसे बड़ा जिला है। इस जिले में पुरुषों की संख्या 1224918 तथा महिलाओं की संख्या 1138826 है। रीवा जिले का लिंगानुपात 930 महिला प्रति 1000 पुरुष में है। यह लिंगानुपात की दृष्टि से मध्यप्रदेश का 27 वाँ जिला है प्रतिवेदित जिला में जनसंख्या घनत्व 374 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. तथा साक्षरता प्रतिशत 73.4 है जिनमें पुरुष साक्षरता 83.7 व महिला साक्षरता 62.5 है शिशु लिंगानुपात (0–6) आयु वाले 883 प्रति हजार नर शिशु में है।

शोध का क्षेत्र एवं प्रविधि : प्रस्तुत अध्ययन अपचारी बालकों से संबंधित है जिसकी पूर्णतः क्षेत्रीय सर्वेक्षण से प्राप्त सामाजिक, न्यायिक एवं अपराधिक आंकड़ों द्वारा संभव हो सका है, जिनका चयन उनकी आयु, शिक्षा,सामाजिक एवं आर्थिक आधार पर निहित प्रश्नावली के द्वारा दैव निदर्शन विधि से प्राप्त किया गया अध्ययन में आवश्यकतानुसार द्वितीयक आंकडों का उपयोग भी किया गया है, जो विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं, मानव अधिकार आयोग, न्यायालय एवं पुलिस स्टेशन के कार्यालय से प्राप्त किया गया है। यथा स्थान अग्र निर्णय व न्यायिक निर्णयों को समाहित करते हुए कार्य को पूर्ण किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में 100 बाल अपचारी को शामिल किया गया है।

परिकल्पना :

1. बाल अपचारिता के लिए शैक्षणिक,सामाजिक आर्थिक व पारिवारिक पृष्ठभूमि प्रमुख रूप से उत्तरदायी है।
2. वर्तमान परिवेश में अधिकांश अपचारी बालकों द्वारा मादक पदार्थों का उपयोग किया जाता है।
3. संगत, उत्तेजना एवं कौतूहल बालकों को समाज विरोधी प्रवृत्ति को प्रेरित करते हैं।
4. बाल अपचारी को उचित मार्गदर्शन एवं सतत् निगरानी द्वारा समाज की मुख्य धारा मे लौटाया जा सकता है।
5. बाल अपचारिता के नियंत्रण समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

व्याख्या एवं विश्लेषण :

शोधार्थी ने अपने शोध अध्ययन के दौरान 100 अपचारी बालकों का व्यक्तिगत अध्ययन किया, इस अध्ययन के दौरान संप्रेक्षण गृह

सारणी क्रमाक–01 :
रीवा जिले में अपचारी बालकों के उपर दर्ज मामले(आयु वर्ग के अनुसार)

क्र.	वर्ष	विभिन्न अपचारी बालको का आयु वर्ग (वर्षो में)								योग	
		7–12		12–14		14–16		16–18		संख्या	प्रतिषत
		संख्या	प्रतिषत	संख्या	प्रतिषत	संख्या	प्रतिषत	संख्या	प्रतिषत		
1	2015	08	8.99	23	25.84	14	15.73	44	49.44	89	100
2	2016	12	12.24	20	20.41	15	15.31	51	52.04	98	100
3	2017	02	3.70	09	16.67	02	3.70	41	75.93	54	100
4	2018	08	9.30	05	5.81	12	13.95	61	70.93	86	100
5	2019	27	19.29	43	30.71	57	40.71	13	9.289	140	100

स्रोत : रीवा जिले के विभिन्न पुलिस थानों से प्राप्त।

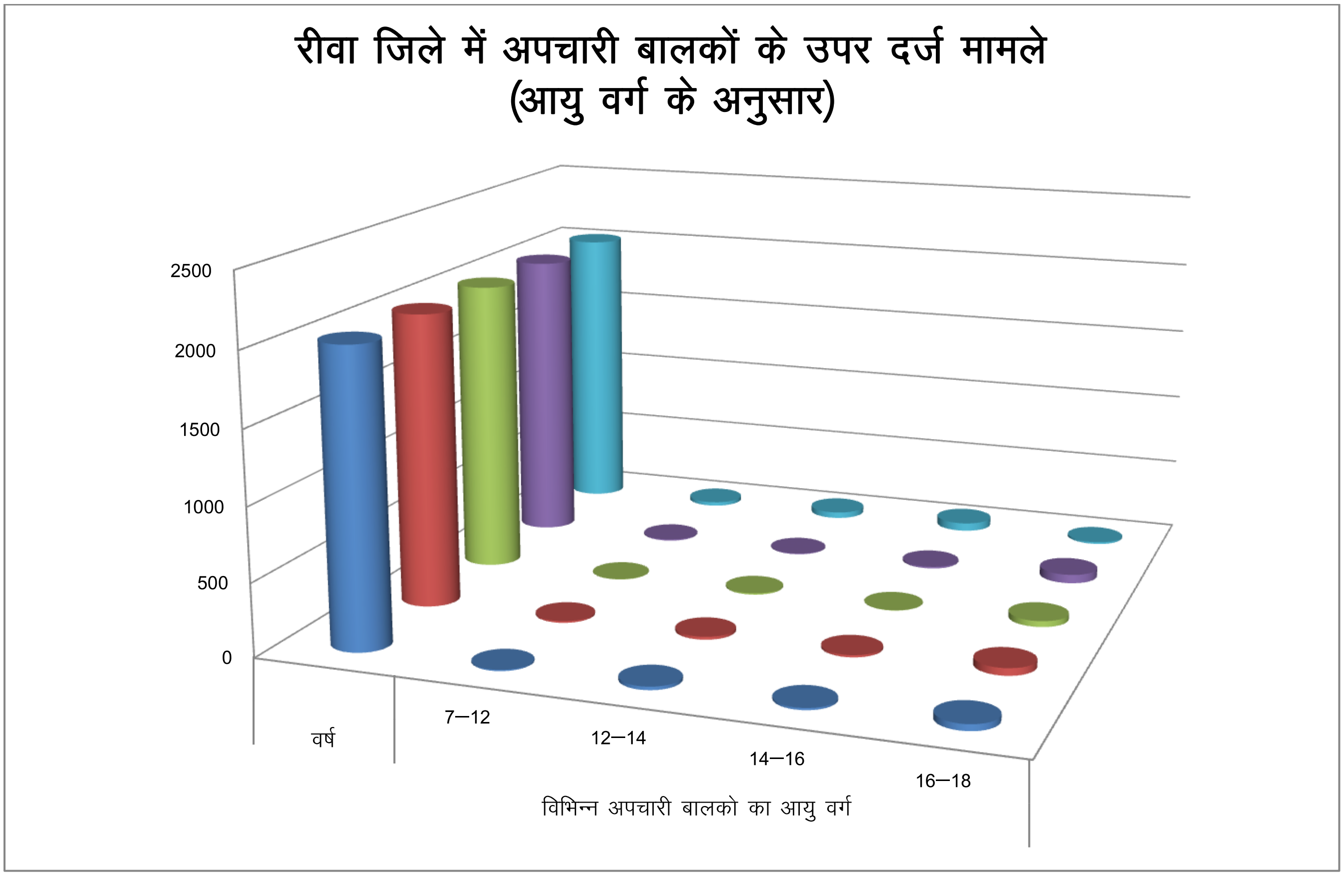

रीवा जिले में अपचारी बालको के ऊपर दर्ज मामले (आयु वर्ग के अनुसार) सारणी क्र. 1 का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि वर्ष 2015 में 7 से 12 आयु वर्ग के 08 मामले, 12 से 14 आयुवर्ग के 23 मामले, 14–16 आयु वर्ग के 14 मामले व 16–18 आयु वर्ग के 44 मामले दर्ज किये गये। इस तरह 2015 में विभिन्न आयुवर्ग के अपचारी बालको के ऊपर 89 मामले दर्ज किये गये। सत्र 2016 में 7 से 12 वर्ष आयु वर्ग के अपचारी

बालको के ऊपर 12 मामले, 12 से 14 आयुवर्ग के 20 मामले, 14–16 आयु वर्ग के 15 मामले व 16 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के 51 मामले दर्ज किये गये। इस तरह सत्र 2016 में अपचारी बालको के ऊपर कुल 98 मामले दर्ज किये गये। वर्ष 2017 में दर्ज कुल मामलों की संख्या 54 थी जिसमें 7 से 12 आयुवर्ग के ऊपर 02 मामला, 12–14 आयुवर्ग के ऊपर 09 मामले, 14–16 आयुवर्ग के ऊपर 02 मामले व 16 वर्ष के ऊपर के अपचारी बालको के ऊपर 4. मामले दर्ज किये गये। सत्र 2018 में अपचारी बालको के ऊपर दर्ज मामलो की संख्या 86 थी जिसमें 7 से 12 आयुवर्ग के ऊपर 08 मामले, 12–14 आयुवर्ग के ऊपर 5 मामले, 14–16 आयुवर्ग के ऊपर 12 मामले, व 16 वर्ष से ऊपर के अपचारी बालको के 61 मामले दर्ज किये गये। वर्ष 2019 में 7 से 12 वर्ष आयु वर्ग के 27 मामले, 12–14 आयु वर्ग के 43 मामले, 14 से 16 आयुवर्ग के 57 मामले, 16–18 आयु वर्ग के 13 मामले

Journal of Science and Research Innovations
Volume - 2, Issue - 2, Dec 2024, ISSN: 2583-9004 (ONLINE)

दर्ज किये गये। अर्थात्त 2019 में अपचारी बालको के ऊपर दर्ज कुल मामलों की संख्या 140 थी। इस तरह अपचारी बालको के ऊपर सबसे कम मामले वर्ष 2017 में किये गये व सर्वाधिक मामले वर्ष 2019 में दर्ज किये गये

सारणी क्रमाक–02
अपचारी बालकों की पारिवारिक पृष्ठभूमि

क्र	विवरण	संख्या	प्रतिषत
1	आपराधिक पृष्ठभूमि	50	50
2	एकल परिवार	17	17
3	तलाकषुदा परिवार	23	23
4	संयुक्त परिवार	07	07
5	किसी भी पृष्ठभूमि	03	03

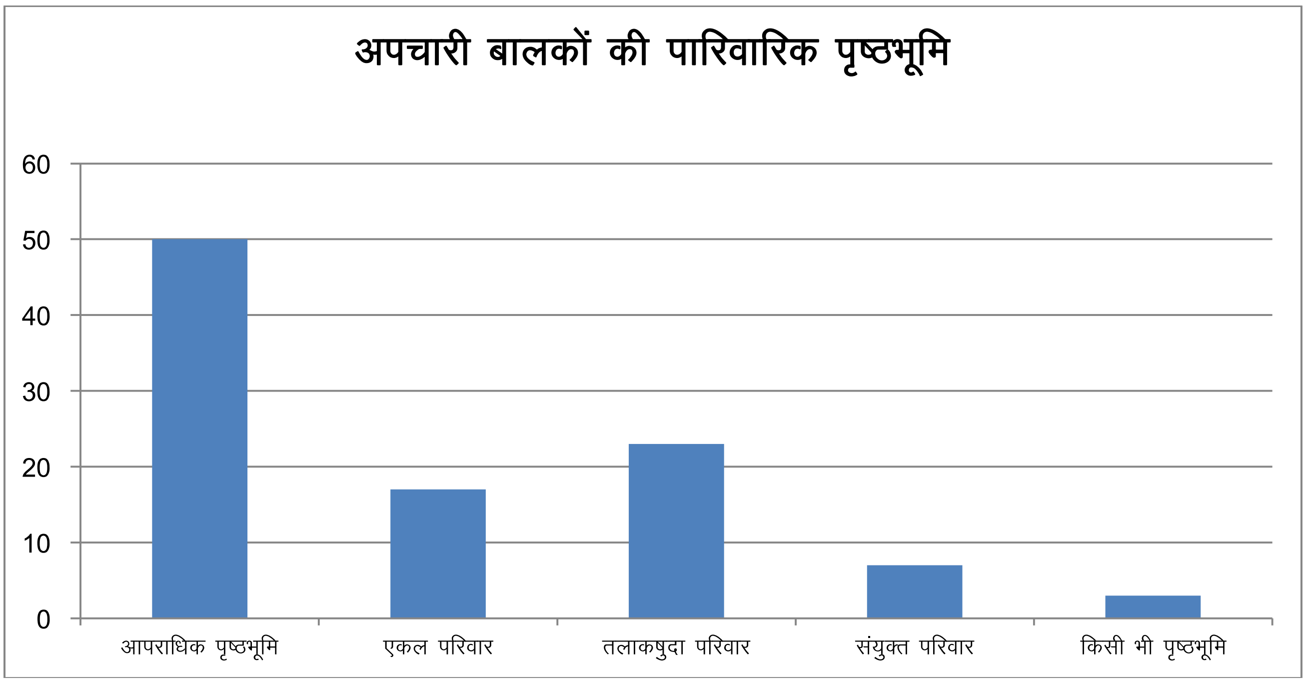

सारणी क्र.02 में अपचारी बालको की पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अपचारी बालको की संख्या 50 है जिसका प्रतिषत 50 है। एकल परिवार वाले अपचारी बालको की संख्या 17 है जिसका प्रतिषत 17 है , तलाकषुदा परिवार वाले आपचारी बालको की संख्या 23 है जिसका प्रतिषत 23 है। संयुक्त परिवार वाले अपचारी बालको की संख्या 7 है जिसका प्रतिषत 7 है तथा ऐसे अपचारी बालक जिनकी कोई भी पृष्ठभूमि नही है ऐसे बालको की संख्या 3 जिनका प्रतिषत 3 है।

सारणी क्रमाक–03
अपचारी बालकों का शैक्षणिक स्तर

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिषत

1	कभी विद्यालय नही गया	00	00
2	5वी तक	16	16
3	8वी तक	40	40
4	10वी तक	35	35
5	10 से उपर	09	09

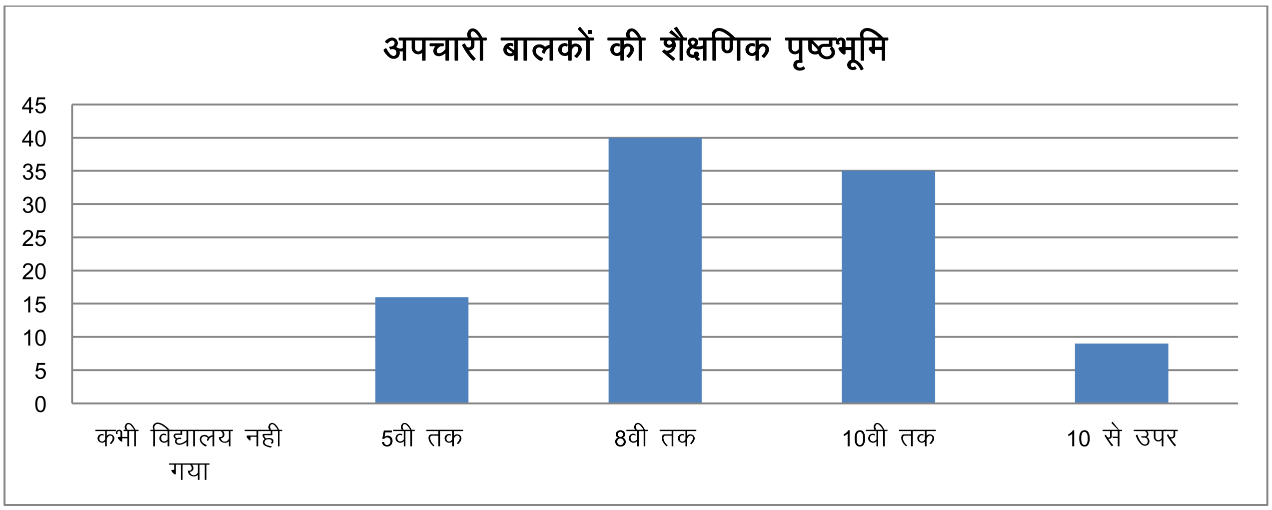

विभिन्न अपचारी बालको के शिक्षा के स्तर का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि 00 प्रति. अपचारी बालक ऐसे हैं जो कभी विद्यालय गये ही नही है। 16 प्रति. अपचारी बालक ऐसे है जो कक्षा पाँचवी तक अध्ययन किये हैं। कक्षा आठवी तक अध्ययन करने वाले अपचारी बालको की संख्या 40 है। 35 अपचारी बालक ऐसे हैं जिन्होने सिर्फ 10 वीं तक अध्ययन किया है तथा कक्षा 10 वीं से ऊपर तक अध्ययन करने वाले अपचारी बालको का प्रतिशत 09 है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि आठवी तक अध्ययन करने वाले अपचारी बालको की संख्या सर्वाधिक है।

सारणी क्रमाक–04
बाल अपचारिता का कारण

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिषत
1	विरासत प्राप्त	39	39
2	सुखद अनुभव	07	07
3	नषे का आदी	10	10
4	संगत के कारण	05	05
5	मानसिक विकार	01	01
6	आर्थिक कारण	12	12
7	भौगोलिक कारण	08	08
8	लक्ष्य विहीन	09	09

Journal of Science and Research Innovations

Volume - 2, Issue - 2, Dec 2024, ISSN: 2583-9004 (ONLINE)

9	अन्य कारण	09	09

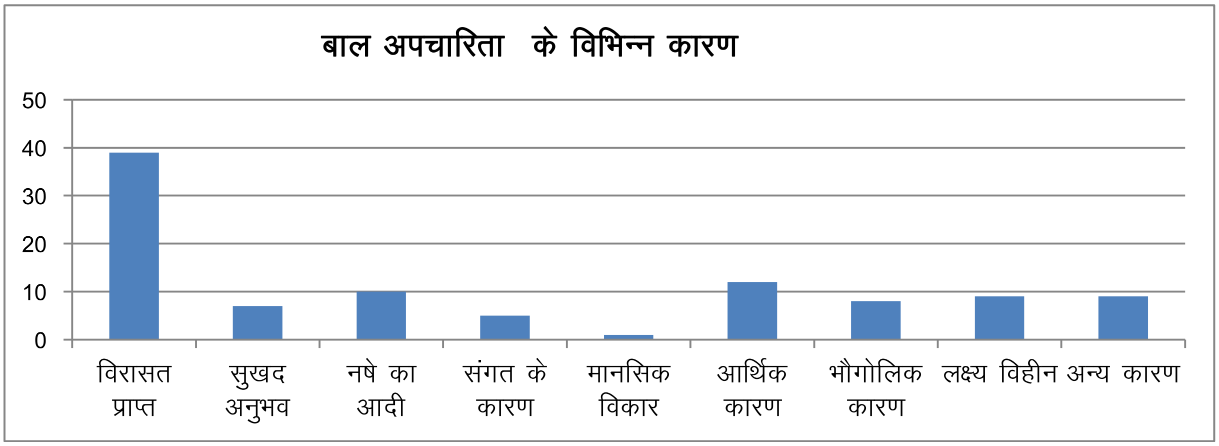

सारणी क्र.04 में बाल आपचारिकता के कारणों के अध्ययन से पता चलता है कि 39 प्रति. बालक ऐसे है जिन्हे अपचारिकता अपने परिवार से ही प्राप्त हुई है अर्थात विरासत से प्राप्त हुई है। 07 प्रति. अपचारी बालक ऐसे है जो मौज मस्ती के उद्देष्य से अपचारिकता कारित करते हैं। 10 प्रतिषत नषे की लत के कारण अपचारिकता कारित करते हैं। 05 प्रतिषत अपचारी बालक ऐसे है जो संगत के कारण अपचारिक कृत्य कारित करते है। 01 प्रतिषत मानसिक विकार के कारण आपचारिक कृत्य कारित है। 12 प्रतिषत अपचारी बालकों का झुकाव आर्थिक तंगी के कारण अपचारिक कृत्यों में सम्मिलित हो जाते हैं। 08 प्रतिषत अपचारी बालकों का झुकाव भौगोलिक कारणों के कारण अपचारिक कृत्यों में सम्मिलित हो जाते हैं। 09 प्रति. अपचारी बालक ऐसे होते हैं जिनका कोई लक्ष्य या उद्देष्य ही निर्धारित नहीं होता जिस कारण अपचारी कृत्यों में संलग्न हो जाते हैं। 09 प्रति. अपचारी बालक विभिन्न कारणों से अपचारी कृत्यों की ओर झुक जाते है।

सारणी क्रमाक–05
अपराध की प्रकृति (वर्ष 2015 से 2019 तक)

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिषत
1	गंभीर	22	22
2	यौन संबंधी	16	16
3	सामान्य	42	42
4	एसएलएल के अंतर्गत	10	10
5	अन्य	10	10

Journal of Science and Research Innovations

Volume - 2, Issue - 2, Dec 2024, ISSN: 2583-9004 (ONLINE)

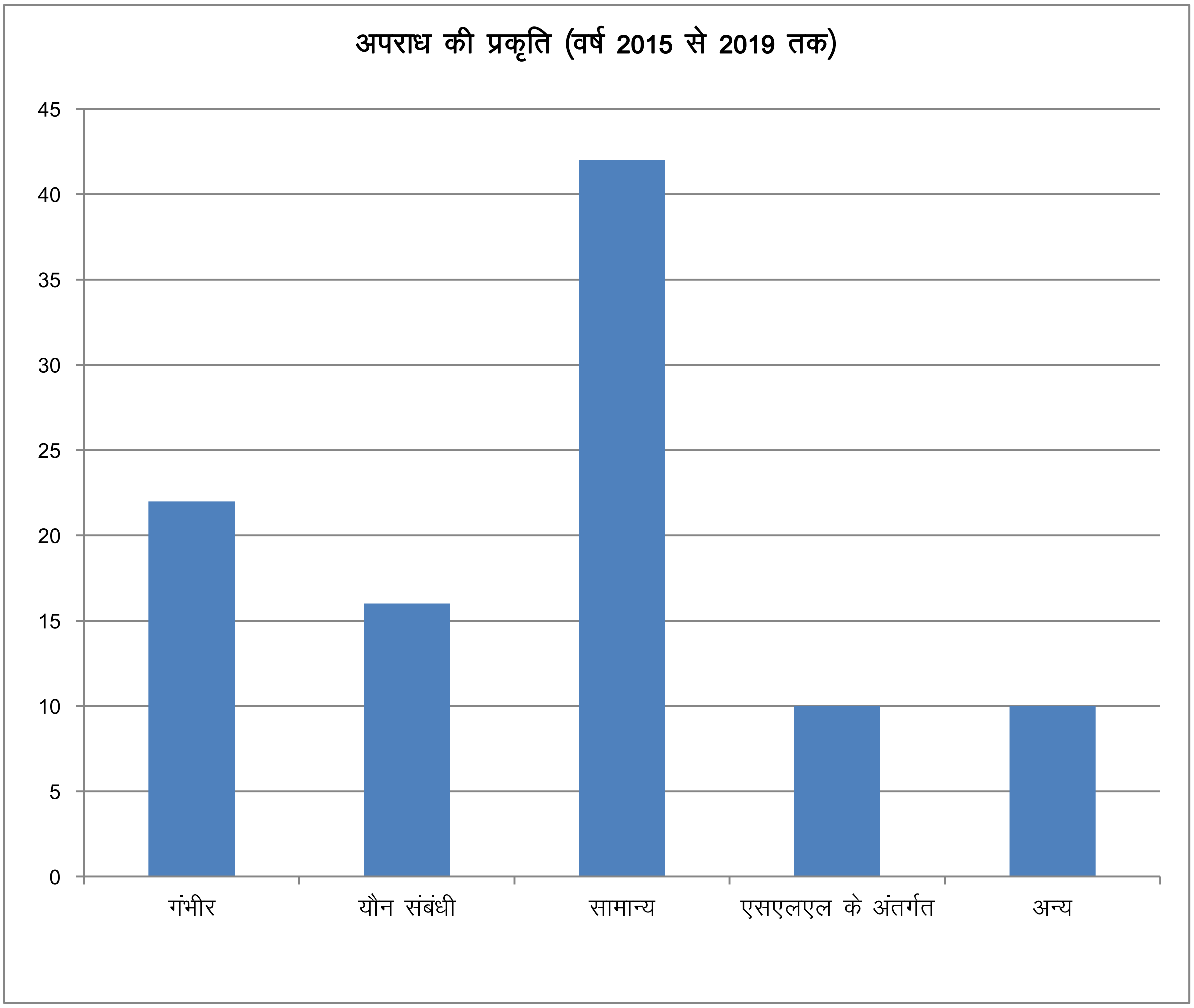

सारणी क्र.5 में विभिन्न अपचारी बालकों की अपराधिक प्रकृति का वर्ष 2015 से 2019 के बीच अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि 22 प्रति. अपचारी बालक गंभीर प्रकृति के अपराधिक कार्यो में संलिप्त है। यौन सम्बंधी अपराधिकता में संलिप्ता का प्रति. 16 है। सामान्य अपराध में संलिप्त अपचारी बालकों का प्रति. 42 है। स्थानीय और विषेष कानून के तहत किये गये अपराधों का प्रति. 10 है। तथा अन्य प्रकार के कारित अपराधों का प्रति. 10 है।

सारणी क्रमाक–06

अपराध में सम्मिलित व्यक्ति

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिषत
1	एकल (व्यक्तिगत)	10	10
2	अन्य व्यक्तियों के साथ	17	17
3	परिवार या समूह द्वारा समर्थित	23	23
4	संगठित	14	14
5	अन्य	36	36

Journal of Science and Research Innovations

Volume - 2, Issue - 2, Dec 2024, ISSN: 2583-9004 (ONLINE)

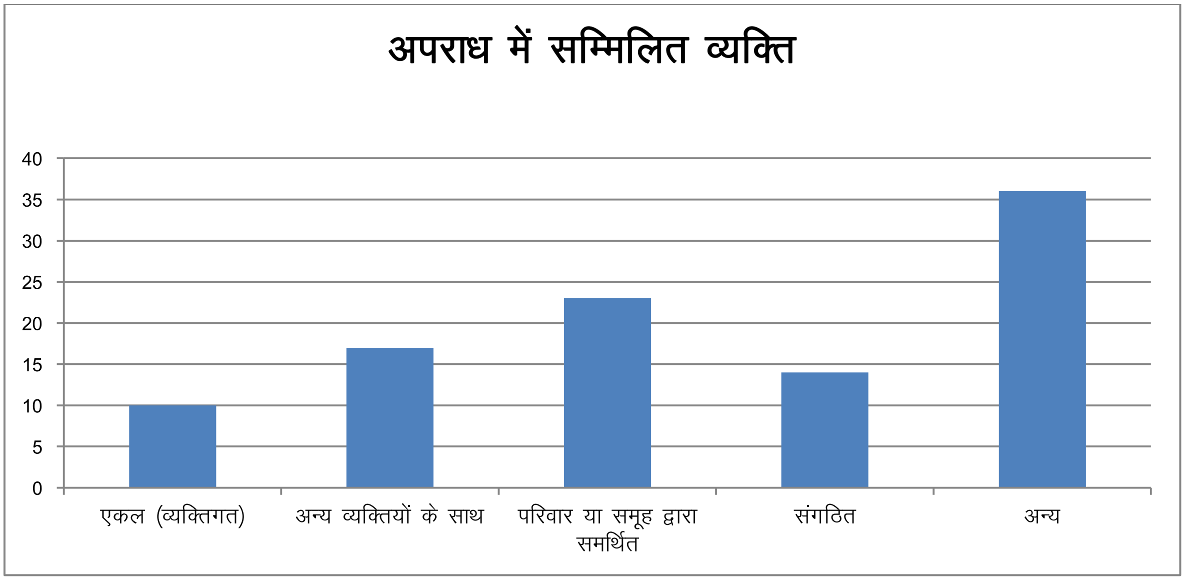

अपचारी बालकों का अपराध कारित करते समय समूह में शामिल व्यक्तियों या सदस्यों की संख्या के बारे में अध्ययन करने पर स्पष्ट हुआ कि 10 प्रति. अपचारी ऐसे हैं जो अकेले ही अपराध कारित करते हैं। 17 प्रति. अपचारी ऐसे हैं जो अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर अपराध कारित करते हैं। 23 प्रति. अपचारी ऐसे हैं जो अपने परिवार या किसी विषेष समूह के समर्थन से अपराध कारित करते हैं। 14 प्रति. अपचारी ऐसे हैं जो संगठित होकर अपराध कारित करते हैं। 36 प्रति. अपचारी ऐसे हैं जो अन्य विभिन्न प्रकार के कारणों से अपराध कारित करते हैं।

निष्कर्ष :

बाल अपचारिता का कारण बालकों का व्यवहार है। केवल वहीं बालक का व्यवहार अपचारिता है जो तथ्यमय प्रवृत्ति विधियों के प्रतिकूल होते है और जिससे समाज की हॉनि होती है। यह हरेक समाज में पाया जाता है।

अपराध की तरह बाल अपचारिता भी एक गंभीर समस्या है। जिस तरह अपराध सार्वभौमिक है उसी तरह बाल अपचारिता भी सार्वभौमिक है। यह एक ऐसी समस्या है जो मूलतः पारिवारिक एवं सामुदायिक विघटन की देन है। बाल अपचारिता सामान्य लक्षणों की तरह अपराध की ही भाँति है। यह भी समाज विरोधी कार्य और इसमें भी कानूनों का उल्लंघन होता है किंतु विभिन्न रूपों में दोनों एक दूसरे से भिन्न भी है। साधारणतया बालक का अपराध बाल अपचारिता कहा जाता है। अर्थात् एक निश्चित आयु से कम आयु के बच्चों का अपराधपूर्ण कार्य बाल अपचारिता समझा जाता है। भारत में किसी बच्चे को बाल अपचारी घोषित करने की अधिकतम आयु 18 वर्ष है।

Journal of Science and Research Innovations
Volume - 2, Issue - 2, Dec 2024, ISSN: 2583-9004 (ONLINE)

निष्कर्षतः बालकों में अपचारी प्रवृत्ति के झुकाव के कारण (1) बालक के परिवार की आपराधिक पृष्ठभूमि है। (2) एकल परिवार (3) माता–पिता में तलाक हो जाना (4) अषिक्षा (5) नषे का आदी होना (6) मानसिक विकार (7) आर्थिक एवं भौगोलिक कारण होते हैं।

अपचारी बालकों को प्राप्त विधिक अधिकार – (1) विधिक सहायता प्राप्त करने का (2) त्वरित विचारण का (3) संदेह का लाभ लेने का (4) बंद कमरे में सुनवाई का अधिकार (5) जमानत पर रिहा होने का अधिकार (6) निःषुल्क विधिक सहायता आदि विधिक अधिकार प्राप्त हैं।

उपरोक्त अध्ययन का निष्कर्ष स्वरूप ऐसे अपचारी बालकों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए बालकों के प्रति मामले को निपटाने में बालकों के प्रति मित्रवत दृष्टिकोण अपनाते हुए उनके समुचित देखरेख, संरक्षण, विकास, उपचार, मनोरंजन एवं उनकी मूलभूति आवष्यकताओं को पूरा करने की आवष्यकता हे।

परिकल्पनाओं का परीक्षण :

1. हमारी पहली परिकल्पना है कि बाल अपचारिता के लिए शैक्षणिक,सामाजिक आर्थिक व पारिवारिक पृष्ठभूमि प्रमुख रूप से उत्तरदायी है सही प्रमाणित होती है। (सारणी क्र. 02 एवं 03)
2. हमारी दूसरी परिकल्पना है कि वर्तमान परिवेश में अधिकांश अपचारी बालकों द्वारा मादक पदार्थों का उपयोग किया जाता है सही प्रमाणित होती है। (सारणी क्र. 04)
3. हमारी तीसरी परिकल्पना है कि सिंगत, उत्तेजना एवं कौतूहल बालकों को समाज विरोधी प्रवृत्ति को प्रेरित करते हैं सही प्रमाणित होती है। (सारणी क्र. 04)
4. बाल अपचारी को उचित मार्गदर्शन एवं सतत् निगरानी द्वारा समाज की मुख्य धारा मे लौटाया जा सकता है।
5. बाल अपचारिता के नियंत्रण समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

संदर्भ सूची :

1. दिवान पारस एवं दीवान पियेष : ह्यूमन राइट्स एण्ड द ला यूनिवर्सल एण्ड इण्डिया, दीप पब्लिकेषन्स, नई दिल्ली।
2. गौर के.डी. हयूमन राइट्स ऑफ डेंटेनस एण्ड प्रिज्नर्स एण्ड प्रिजन रिफार्म डाइरेक्टिव प्रिसिपलस , ज्यूरिसप्रिडेन्स सीमा पब्लिकेषन पेरिस, 1962
3. ठनतजए ब्लतपस 1955ए जैम लवनदह क्मसपदुनमदजए स्वदकवदए च्15
4. च्वूमतेए म्कूपद ंदक भ्मसमदए ॅपजउमतए 1951ण्श्।द म्गचमतपउमदज पद जीम च्तमअमदजपवद व िक्मसपदुनमदबलश् ए छमू ल्वताण
5. चतुर्वेदी मुरलीधर, भारतीय दण्ड संहिता 1860ए ईस्टर्न बुक कम्पनी लखनऊ, 1999
6. पराजपे एन.बी. अपराधषास्त्र संन्ट्रल लॉ पब्लिकेषन्स इलाहाबाद
7. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वार्षिक रिपोर्ट 2002 से 2009
8. दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961।
9. शर्मा, सुभाष, भारतीय महिलाओं की दषा, आधार प्रकाषन पंचकूला, 2006।
10. योजना, पत्रिका, प्रतियोगिता दर्पण दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण टाइम्स ऑफ इण्डिया, इंटरनेट।